न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/2019
Rems reg. No. 2018/00029

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा	बनाम	श्री मोहम्मद अफजल पिता श्री इकबाल खान निवासी इंदिरा कॉलोनी, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :– 30–12–2019

1. पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैरसायल श्री मोहम्मद अफजल पिता श्री इकबाल खान निवासी इंदिरा कॉलोनी, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–
    1. प्रथम सूचना क्रमांक 131/17 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अफजल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 29–04–2017 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 1052/17 से 100/– रूपया के जुर्माने से दण्डित किया गया।
    2. प्रथम सूचना क्रमांक 202/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अफजल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 18–05–2018 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 891/18 से 100/– रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
    3. प्रथम सूचना क्रमांक 290/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अफजल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 17–07–2018 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 1963/18 से 100/– रूपया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
    4. प्रथम सूचना क्रमांक 563/18 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री मोहम्मद अफजल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा में प्रकरण लम्बित है।
    5. इस प्रकार गैरसायल श्री मोहम्मद अफजल पिता श्री इकबाल खान निवासी इंदिरा कॉलोनी, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा जो जुआ सट्टा का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949 के तहत 4 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

करने के बांद ट्रायल 3 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर तीन बार जुर्माने से दण्डित हुआ है एवं 1 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया ज़ाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

4. गैरसायल की और से अभिभाषक श्री मो. शमीम खान द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16–12–2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया कि :–
   1. सभी प्रकरण लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं।
   2. गैरसायल के खिलाफ इन मामलों के बाद किसी भी व्यक्ति, समाज सेवक, विधायक, सांसद या किसी प्रकार के कोई प्रतिनिधि ने कोई शिकायत दर्ज नही करवाई है।
   3. गैरसायल के विरूद्ध आरोपों को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण फैसल शुमार किये जाने निवेदन किया।

5. दिनांक 16--12–2019 को प्रकरण में गैरसायल की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध कोई भी मुकद्मा भारतीय दण्ड संहिता की धारा में दर्ज नहीं हुआ है। सभी प्रकरण लोक अदालत की भावना से न्यायालय द्वारा निर्णित हुए हैं। अतः गैरसायल के विरूद्ध आरोप निरस्त किए जाकर प्रकरण फैसल शुमार करने निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरूद्ध जो जुआ सट्टा का कारोबार करते हुए पकड़े जाने पर राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949 के तहत 4 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद ट्रायल 3 प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर तीन बार जुर्माने से दण्डित हुआ है एवं 1 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल श्री मोहम्मद अफजल पिता श्री इकबाल खान निवासी इंदिरा कॉलोनी, बांसवाडा पुलिस थाना कोतवाली बांसवाडा तहसील क्षेत्र बांसवाड़ा से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, आबापुरा में निवास करेगा एवं थानाधिकारी आबापुरा को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करायें। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30–12–2019 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण तहसील क्षेत्र; बांसवाड़ा में स्थित किसी माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेश बुनकर)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.01.06 11:49:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: